

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013” के नियम 30 (2) एवं (3) के क्रम में,

परिशिष्ट-3

ग्राम-हसनपुर, परगना-मीरानपुर, तहसील-सदर जनपद-सुलतानपुर।

अर्जित क्षेत्रफल	(अर्जित भूमि का) दर प्रति हेक्टेयर	प्रतिकर	परिसम्पत्तियों का विवरण (मूल्यांकन)		योग (3+4+5)	प्रतिफल 100%	भू-अर्जन अधि 2013 की धारा-30(3) के अनुसार धारा-3ए के प्रकाशन तिथि 05.08.2012 से अभिनिर्णय की तिथि 20.02.2015 कुल 928 दिन का 12% अतिरिक्त प्रतिकर	फैक्टर		सम्पूर्ण योग (6+7+8+9+10)	पूर्व घोषित अभिनिर्णय के आधार पर प्राप्त धनराशि	वांछित अवशेष धनराशि
			बृक्ष	भवन आदि				कालम-3 का नगरीय क्षेत्र में एक गुना	कालम-3 का ग्रामीण क्षेत्र में दो गुना			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
0.4882	78,94,737.00	38,54,211.00	20,960.00	37,05,104.00	75,80,275.00	75,80,275.00	23,12,711.00	—	38,54,211.00X2 =77,08,422.00	2,51,81,683.00	83,38,302.00	1,68,43,381.00
<b>0.4882</b>	<b>78,94,737.00</b>	<b>38,54,211.00</b>	<b>20,960.00</b>	<b>37,05,104.00</b>	<b>75,80,275.00</b>	<b>75,80,275.00</b>	<b>23,12,711.00</b>	—	<b>38,54,211.00X2</b> <b>=77,08,422.00</b>	<b>2,51,81,683.00</b>	<b>83,38,302.00</b>	<b>1,68,43,381.00</b>
रु० एक करोड, अडसठ लाख, तैतालीस हजार, तीन सौ इक्कासी मात्र												

पूँजीकृत मूल्य:—मालगुजारीX40गुना,  
25.82X40=1032.80 यानि=1,033.00  
(रूपया एक हजार, तैतीस मात्र)

(रामचन्द्र सरोज)  
अपर उप जिलाधिकारी-सदर/सक्षम प्राधिकारी,  
सुलतानपुर।



